संख्या–1829/71–4–2020–एन–4/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 20 Nov नवम्बर, 2020

विषयः– बोधीसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी मास्टर ऑफ साइन्स इन नर्सिंग (एम0एससी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4130/20, दिनांक 30.09.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त बोधीसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी को मास्टर ऑफ साइन्स इन नर्सिंग (एम0एससी0–नर्सिंग) प्रशिक्षण कोर्स–(1) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग–04 सीट (2) आब्सटेट्रिक एण्ड गायनकोलाजिकल नर्सिंग–04 सीट (3) चाइल्ड हेल्थ (पीडियाट्रिक) नर्सिंग–04 सीट (4) मेन्टल हेल्थ (साइकेट्रिक) नर्सिंग–04 सीट (5) कम्प्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग–04 सीट कुल 20 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 24.01.2006, 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा बैंक गारण्टी की अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक के लिए विस्तारित कराकर इसकी सूचना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त कार्यवाही दिनांक 21.12.2020 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
6. संस्था द्वारा अपने चिकित्सालय के पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2020 तक तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण व अग्निशमन विभाग से निर्गत प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराकर ही संस्था का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।
7. उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1829(1)/71–4–2020–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था।
4. प्रबन्धक, बोधीसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner